



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271700  
CG-DL-E-10042026-271700

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 245]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

आय-कर

सा.का.नि. 265(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के राजपत्र, भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना धारित सं. सा.का.नि. 229(अ), दिनांक 30 मार्च, 2026 में :-

- पृष्ठ संख्या 107 पर, अनुसूची सीजी में, पंक्ति क8 में, शब्द और अक्षर "(क8क क8ख+ क8ग)" के स्थान पर शब्द "(क8क + क8ख + क8ग)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- पृष्ठ संख्या 119 पर, अनुसूची यूडी में, पंक्ति v में, स्तंभ (4) और (5) के अंतर्गत, अंकों और अक्षरों "(बीएफएलए का 3xvi)" और "(बीएफएलए का 4xvi)" के स्थान पर, अंक और अक्षर "(बीएफएलए का 3xv)" और "(बीएफएलए का 4xv)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 60/2026/फा. सं. 370142/8/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 10th April, 2026

**INCOME-TAX**

**G.S.R. 265(E).**— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 229(E), dated 30<sup>th</sup> March, 2026:—

- (i) at page number 107, in Schedule CG, in row A8, for the words and letters “(A8a A8b + A8c)”, the words “(A8a + A8b + A8c)” shall be substituted;
- (ii) at page number 119, in Schedule UD, in row v, under the column (4) and (5), for the figures and letters “(3xvi of BFLA)” and “(4xvi of BFLA)”, the figures and letters “(3xv of BFLA)” and “(4xv of BFLA)” shall be substituted.

[Notification No. 60/2026/F. No. 370142/8/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy.